न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रैफरेन्स / 17 / 2019

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1—बुद्धा (मृतक)

1 / 1—विजयसिंह । पिसरान बुद्धा जाति माली सा0 कुम्हेर गेट गैरखातेदार

1 / 2—तेजसिंह ।

......अप्रार्थी0

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, बाबत आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 कस्बा भरतपुर चक नं.02 तहसील भरतपुर।

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार प्रार्थी

2—श्री गोपालराम शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 17.01.2025**

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर ने यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान, भू—राजस्व अधिनियम 1956, इस आशय का पेश किया है कि जो संक्षेप में इस प्रकार है गत आराजी खसरा नम्बर 981 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा हाल आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 कस्बा भरतपुर चक नं.02 तहसील भरतपुर पर अप्रार्थीगण ने अनुचित रुप से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। विवादित आराजी नगर परिषद / नगर सुधार न्यास की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित है। वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 कस्बा भरतपुर चक नं.02, सी.एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में स्थित है। अप्रार्थीगण ने मिलीभगत करके जल भराव सी.एफ.सी.डी. क्षेत्र की उक्त नियमों के विपरीत खातेदारी प्राप्त कर ली है जो माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रक्ष्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजी को पुनः सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक गोपाल राम शर्मा वगै0 का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैरोकार सरकार प्रार्थी ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुय बताया कि विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित हैं। इस सम्बन्ध में पेरोकार सरकार ने गूगल कैड मैप पेश किया तथा उक्त नक्शे में अंकित उक्त विवादित खसरा नम्बरान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुये बताया कि ये खसरा नम्बर सी.एफ.सी.डी. पानी वहाव क्षेत्र में स्थित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार का उल्लेख करते हुये, हाल आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 पर अप्रार्थीगण द्वारा नियमों के विपरीत प्राप्त गैर खातेदारी को निरस्त कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जे खातेदारी अधिकार चले आ रहे हैं। विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी बहाव क्षेत्र में नहीं आती है। तहसीलदार ने गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 ग्रांम कस्वा चक नं.2 भरतपुर का अवलोकन किया गया। विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 पर अप्रार्थी बुद्धा पुत्र गब्बू जाति माली सा. कुम्हेर गेट भरतपुर गैरखातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण ने यह नहीं बताया कि उन्हें विवादित आराजी पर गैरखातेदारी अधिकार केसे मिले हैं। अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई राजस्व अभिलेख आंबटन आदेश वगे. पेश नहीं किया गया जिससे उनके गैर खातेदारी इन्द्राजों की पुष्टी होती हो। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने मिलीभगत कर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 पर नियमों के विपरीत गैरखातेदारी इन्द्राज करा लिये हैं जब कि पैरोकार सरकार ने विवादित आराजी के मौके का गूगल कैड मैप पेश किया गया है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित होना स्पष्ट है। इससे यह निर्विवाद है कि आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 सी.एफ.सी.डी. पानी वहाव क्षेत्र में स्थित हैं। अस्तु माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय / आदेश की परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी0 के विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित / दर्ज गैरखातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जाना उचित पाते हैं।

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स / 17 / 2019
सरकार बनाम बुद्धा

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2663, 2664, 2704 कस्बा चक नं.2 भरतपुर पर अप्रार्थीगण के गैरखातेदारी इन्द्राज को कलमजन जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्व की भांति राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर